



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1205) पटना, शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 अक्टूबर 2015

सं० बिक्री-कर/विविध-43/2011-5922—बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 40 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी परिवहनकर्ता/व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले माल के परिवहन के लिए अधिनियम के अधीन पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- 6888 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया में संशोधन करते हुए इस अधिसूचना की कंडिका-2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित करते हैं -

“2. भारत के किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल का परिवहन करने के क्रम में बिहार से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों पर परिवहित किये जा रहे मालों के संदर्भ में परिवहनकर्ता द्वारा, कर मुक्त मालों तथा वैसे व्यक्ति जो व्यवसायी नहीं हैं अथवा अनिबंधित व्यवसायी हैं, के मालों के परिवहन को छोड़ कर, Consignor का TIN एवं Consignee का TIN भरा जाना अनिवार्य होगा। कर मुक्त मालों तथा वैसे व्यक्ति जो व्यवसायी नहीं हैं अथवा अनिबंधित व्यवसायी हैं, के मालों के परिवहन के निमित्त चयन किये जाने पर सिस्टम द्वारा Consignor एवं Consignee का TIN स्वतः भरा जायेगा।”

2. अधिसूचना संख्या-6888 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 में दिये गये निदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1205-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>